न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 26 / 2024

प्रविष्टि दिनांकः– 01.04.2024

1.कैलाश पुत्र हरनाथ धाकाड निवासी माधोंसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक।

2.राजेन्द्र पुत्र बद्रीलाल धाकड़ निवासी माधोंसिहपुरा तहसील देवली जिला टोंक।

3. राजेश पुत्र बद्रीलाल धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक।

4. रतनी पुत्री बद्रीलाल धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक।

5. सीमा पुत्री बद्रीलाल घाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक।

6. मनभर देवी पत्नि भंवरलाल जाट निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।

7. राजेश कुमार पुत्र नानूलाल जाट निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।

8.विजय कुमार पुत्र नानूलाल जाट निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।

9.जगदीश पुत्र बैजनाथ धाकड़ निवासी साण्डला हाल अम्बापुरा कॉलोनी तहसील देवली जिला टोंक।

10.सन्तोक पत्नि जगदीश धाकड निवासी साण्डला हाल अम्बापुरा कालोनी तहसील देवली जिला टोंक।

.... अपीलाण्टस

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 27 ग्राम अम्बापुरा तहसीलदार देवली दिनांक 11.08.1997

उपस्थितः (1)श्री शिवराज टांडी, अभिभाषक अपीलाण्टस

(2)श्री सावंतराम मीना, राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 24.07.2024

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि अपीलान्टस एवं उनके पूर्वजों की खरीदशुदा भूमि खसरा नं0 114 रकबा 0.69 हेक्टेयर बारानी–2 एवं खसरा नं0 115 रकबा 1.07 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 वाके ग्राम अम्बापुरा पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। अपीलांटस ने उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

संपरिवर्तन करवाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार देवली को प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार देवली ने संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर उक्त भूमि के खसरा नं0 114 रकबा 0.69 हैक्टेयर में से 0.05 हेक्टर एवं खसरा नं0 115 रकबा 1.07 हेक्टेयर में से 0.15 हेक्टेयर(कुल 2000 वर्गमीटर) भूमि को दिनांक 01.05.1997 आदेश क्रमांक 280/राजस्व/01.05.97 से भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ गै.मु. आबादी में करने का आदेश दिया। उक्त आदेश की पालना में भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांक 11.08.1997 तस्दीक किया गया जिसमें खातेदारों की जगह नामान्तरकरण के कॉलम 9 में सिवायचक अंकित कर दिया। उक्त नामान्तकरण सं. 27 को विधि विरूद्ध बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ तहसीलदार देवली ने उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश से मूल खसरा नंम्बर 114 में से तोडकर खसरा नम्बर 114/1 रकबा 0.05 हेक्टेयर गै.मु. आबादी दर्ज किया गया जिसके हाल खसरा नम्बर 166/114 रकबा 0.05 हेक्टेयर तथ खसरा नम्बर 115 में से तोडकर 115/2 रकबा 0.15 है. किस्म गे.मु. आबादी दर्ज किया जिसके हाल ख.न. 165/115 रकबा 0.15 है. वाके ग्राम अम्बापुरा पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक के खाता नम्बर 1 (राज्य सरकार) में अंकित कर दिया। अपीलांटस व उनके पूर्वजों द्वारा अपनी खातेदारी की भूमियों में से उक्त 0.20 हैक्टेयर भूमि को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन करवाने हेतु निर्धारित राशि तहसीलदार देवली के आदेशानुसार जमा करवायी गई और उसके पश्चात स्वयं तहसीलदार देवली ने उक्त भूमि को कृषि से आवासीय में संपरिवर्तन करने का आदेश दिया। परन्तु उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण में भूमि को खातेदारान के नाम अंकित करने के बजाय उसमें सिवाय चक अंकित कर दी गई। अपीलाधीन नामान्तरकरण का अपीलांटस को पूर्व में कोई ज्ञान नहीं था। थोडे दिनों पूर्व अपीलांट ने अपनी भूमि में निर्माण कार्य करने हतु राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो उक्त भूमि के संबंध में ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि अपीलान्टस व उनके पूर्वजों के नाम ना होकर सिवायचक दर्ज है। अपीलांटस ने उक्त नामान्तरकरण की प्रति तथा आवश्यक राजस्व अभिलेखों की नकले प्राप्त कर अपील बिना विलम्ब के पेश की है। यदि फिर भी कोई देरी मानी जाये तो उसे कन्डोन करने के लिए पृथक से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 27 ग्राम अम्बापुरा द्वारा तहसीलदार देवली दिनांक 11.08.1997 को निरस्त किया जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 9 में अंकित सिवायचक के स्थान पर खातेदार(अपीलान्टस) का नाम अंकित किये जाने हेतु आदेश फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने दोराने बहस कथन किया कि तहसीलदार देवली द्वारा भरा गया उक्त नामान्तकरण सं. 27 दिनांक 11.08.1997 विधिसम्मत है। उक्त नामान्तकरण वर्ष 1997 में तस्दीक किया गया जिसे लगभग 26 वर्षों पश्चात् वर्ष 2024 में निरस्त किए जाने हेतु यह अपील पेश की गई हैं जो कि अपील की मियाद से बाहर है। अपील पेश करने में हुई इस देरी के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में बताये गये कारण निराधार है एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल है। अपीलान्टस द्वारा ऐसा कोई प्रमाण/दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध सिद्ध होता हो। तहसीलदार देवली द्वारा तस्दीक किया गया उक्त नामान्तरकरण सही प्रतीत होता है। अतः उक्त अपील अस्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली द्वारा भरा गया नामान्तकरण सं. 27 दिनांक 11.08.1997 यथावत रखा जावें।

हमने अभिभाषक अपीलांटस व पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं प्रकरण से संबंधित पत्रावली, अधीनस्थ न्यायलय से तलब की गई नामान्तकरण की पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट हैं कि अपीलान्टस व उनके पूर्वजों द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार देवली द्वारा खसरा नं0 114 रकबा 0.69 हैक्टेयर में से 0.05 हेक्टर एवं खसरा नं0 115 रकबा 1.07 हेक्टेयर में से 0.15 हेक्टेयर(कुल 2000 वर्गमीटर) भूमि को दिनांक 01.05.1997 आदेश क्रमांक 280/राजस्व/01.05.97 से भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ गै.मु. आबादी में करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश की पालना में ही भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 27 दिनांक 11.08.1997 तस्दीक किया गया था जिसे निरस्त करवाने हेतु उक्त अपील लगभग 26 वर्षों बाद पेश की गई है जो कि अपील की मियाद से पूर्णतया बाहर है। अपीलान्टस द्वारा अपील पेश करने में हुई इस देरी के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में बताये गये कारण निराधार है एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल है। अपीलान्टस द्वारा ऐसा कोई प्रमाण/दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध सिद्ध होता हो। ऐसी स्थिति में तहसीलदार देवली द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 11.08.1997 उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहसीलदार देवली द्वारा खसरा नं0 114 रकबा 0.69 हैक्टेयर में से 0.05 हेक्टर एवं खसरा नं0 115 रकबा 1.07 हेक्टेयर में से 0.15 हेक्टेयर(कुल 2000 वर्गमीटर) भूमि वाके ग्राम अम्बापुरा पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोंक का तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 11.08.1997 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक